

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-357 / 15
संस्थापित दिनांक-03.11.2015
filling no. 235103003132015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर(म.प्र.)। अभियोजन
विरुद्ध
1- महफूज बेग पुत्र मकसूद बेग, उम्र 27 साल। 2- मेकसूद बेग पुत्र मेहबूब बेग, उम्र 65 साल 3- रिहाना परवीन पत्नी मकसूद बेग, उम्र 62 साल निवासीगण- घुसयाना जिला ललितपुर (उ.प्र.) आरोपीगण

:- निर्णय :-
(आज दिनांक 16.01.2018 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498(ए), 506 भाग-2 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 16.10.2014 के बाद से दिनांक 18.09.2015 तक फरियादी फिरदौस खान के पति या पति के नातेदार होते हुये फरियादी से दहेज में 2 लाख रुपये एवं वाशिंग मशीन की मांग करके उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की एवं फरियादी फिरदौस खान को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी फिरदौस अभियुक्त मेहफूज बेग की वैध विवाहिता पत्नी है एवं आरोपी मकसूद बेग एवं रिहाना परवीन फरियादी के सास एवं ससुर है। प्रकरण में यह उल्लेखनिय है कि दिनांक 01.11.2017 फरियादी एवं आरोपीगण द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, राजीनामा अनुसार आरोपीगण को धारा 506 भाग-2 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया तथा यह निर्णय धारा 498 "ए" भा.द.सं. अंतर्गत किया जा रहा है।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी फिरदौस ने अपने भाई अलीम खान के साथ थाना चंदेरी में एक लेखीय आवेदन इस आशय का पेश किया वह मैदान गली चंदेरी में रहती है। उसकी शादी 16 अक्टूबर 2014 को महफूज मिर्जा निवासी ललितपुर से मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार हुयी थी। शादी के एक साल के अंदर 28 अगस्त 2015 एक बच्ची हुयी जिसका इंतकाल दूसरे दिन चंदेरी अस्पताल में हो गया था, जिसके बारे में उसने अपने पति को फोन कर बताया तो उन्होंने कहा मर गयी तो मर जाने दो परंतु वह नही आये। तब से

लेकर आज तक नहीं आये और कहते हैं कि तेरे पिता ने मुझे निकाह में कुछ नहीं दिया मैं तुझे नहीं रखूंगा। निकाह के बाद वह अपने ससुराल में तीन माह तक रही थी तथा उसके बाद वह एक बार बीच में वह अपने ससुराल गयी थी। उसके पति ओर सास रिहाना परवीन, ससुर मकसूद बैग मिर्जा ने उसे घर से यह कहकर निकाल दिया कि वह अपने घर से जा ओर दहेज में वाशिंग मशीन और दो लाख रुपये रुपये लेकर आये तो ही वह उसके घर में रहेगी। उसके बाद से वह अपने मायके चंदेरी में रह रही है। आज उसका पति, ससुर तथा सास यहां पर आये तथा समाज के लोगों ने व घरवालों ने माता पिता, भाई ने कहा कि इसे क्यों नहीं ले जाते हो तो उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं ले जावेंगे। पहले हमें दो लाख रुपये दो तो उसने कहा कि वह साथ चलेगी तो उसके आदमी ने उसे चांटा मार दिया तथा उक्त तीनों मोटर साईकिल से चले गये तथा तीनों लोग उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं तथा उन्होंने कहा कि यहां आई तो जान से मार देंगे। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान ६ टटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा फरियादी फिरदौस खान को दिनांक 16.10.2014 के बाद से दिनांक 18.09.15 तक फरियादी फिरदौस खान के पति या पति के नातेदार होते हुये फरियादी से दहेज में दो लाख रुपये एवं वाशिंग मशीन की मांग करके उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर करता कारित की ?
----	--

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— फरियादी फिरदौस बानो (अ.सा.-1), वकील उर्रहमान (अ.सा.-2), परवीन बानो (अ.सा.-3), अलीम खान (अ.सा.-4), शकील खान (अ.सा.-5) एवं बसीम खान (अ.सा.-6) का कहना है कि वे आरोपीगण को जानते हैं तथा फरियादी फिरदौस बानो की शादी अभियुक्त मेहफूज बैग के साथ हुयी थी। फरियादी फिरदौस बानो (अ.सा.-1) ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि अभियुक्त मेहफूज बैग उसका पति है एवं मकसूद बैग उसका ससुर एवं रिहाना परवीन उसकी सास है। उसकी शादी दिनांक 16.10.14 को मेहफूज बैग के साथ हुयी थी। शादी के बाद तीन महीने तक वह उसकी ससुराल में रही थी, उसके बाद सास, ससुर व पति परेशान करते रहें और कहते थे कि दो लाख रुपये और वाशिंग मशीन व हार लेकर आओ। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके सास, ससुर कहते थे कि फिरदौस को टीबी है और उसे खाना अलग से देते थे। जब वह शादी के बाद उसकी ससुराल से मायके आयी तो वह गर्भवती थीं मायके वापिस आने के नौ माह बाद वापिस आने के बाद एक बच्ची सरकारी अस्पताल चंदेरी में हुयी थी, जिसकी मृत्यु जन्म के दूसरे दिन हो गयी।

07— फरियादी फिरदोस बानो (अ.सा.-1) ने बताया कि उसके घरवालों ने और उसने उसके पति व सास, ससुर को फोन पर बच्ची के जन्म के बारे में बताया और आने के लिये कहा तो उक्त लोग नहीं आये और कहने लगे कि बच्ची मर गयी तो मर जाने दो और तुम भी मर जाओ। फरियादी फिरदोस बानो (अ.सा.-1) का कहना है कि उसके बाद दिनांक 18.09.15 को उसके पति, सास व ससुर उसके घर पर आये और कहने लगे कि वाशिंग मशीन, हार व दो लाख रुपये का इंतजाम हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि हमारी इतनी हैसियत नहीं, उसके बाद तीनों लोग उससे चेंट गये। पति ने गला दबाया और सास, ससुर धक्का मारकर चले गये। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके द्वारा थाना चंदेरी में प्रपी-1 का लेखीय आवेदन पेश किया था एवं प्रपी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी थी, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, प्रपी-3 के जप्ती पंचनामा के ए से ए भाग पर भी उसके हस्ताक्षर हैं और प्रकरण में संलग्न विवाह का निमंत्रण पत्र प्रपी-4 है। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण के पैरा पांच में बताया है कि जिस समय मायके में आरोपीगण आये थे उस समय उसके पिता वकील उर्ररहमान, मां परवीन, अकीला उर्फ रहमान, मोहम्मद नूर भाई शकील, शब्बीर उसमान, निक्की, बंटी आदि मौजूद थे।

08— फरियादी फिरदोस बानो (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह ससुराल में शादी के तीन माह तक रही तथा बचाव पक्ष के इस सुझाव को इंकार किया कि जब वह तीन माह तक ससुराल में रही तब आरोपीगण ने दहेज की मांग नहीं की। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में बताया कि यह बात सही है कि वह दिनांक 01.02.2015 से ही उसके मां बाप के यहां रह रही है तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 14 में बताया कि उसकी बेटी की मृत्यु दिनांक 28.08.15 को हुयी थी। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री की मृत्यु पर उसके ससुराल वाले आ जाते तो वह रिपोर्ट नहीं करती। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 19 में बताया कि उसने आवेदन प्रपी-1 में यह बात सही लिखायी थी कि उन्होंने कहा था कि मर गयी तो मर जाने दो, घरवालों ने पति को बुलाया, परंतु वे आये ही नहीं, तब से लेकर आज तक नहीं आये। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसकी शादी उसके माता पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ की है।

09— फरियादी फिरदोस बानो (अ.सा.-1) ने उसके कथनों में बताया कि उसकी बेटी की मृत्यु दिनांक 28.08.15 को हुयी थी तथा मुख्य परीक्षण के पैरा 3 में यह भी बताया कि दिनांक 18.09.15 को उसके पति व सास, ससुर उसके घर आये और वाशिंग मशीन, हार व दो लाख रुपये का इंतजाम हो गया क्या तो हम लोगो ने कहा कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। एक तरफ स्वयं फरियादी यह बताती है कि आरोपीगण दिनांक 18.09.15 को उसके घर आये और उससे वाशिंग मशीन, हार और दो लाख रुपये की मांग की और उसके साथ मारपीट भी की। किंतु उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण के पैरा 15 में बताती है कि यदि उसकी पुत्री की मृत्यु पर उसके ससुराल वाले आ जाते तो वह रिपोर्ट नहीं करती। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण के पैरा 19 में बताती है कि उसकी पुत्री की मृत्यु पर घरवालों ने पति को बुलाया था परंतु वे नहीं आये और तब से लेकर आज तक नहीं आये। फरियादी द्वारा उसके न्यायालयीन कथनों के अलावा फरियादी की ओर से उसके द्वारा थाना चंदेरी में प्रस्तुत लेखीय आवेदन प्रपी-1 जिसके आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि फरियादी की पुत्री की मृत्यु हो जाने के पश्चात से बुलाने पर भी आरोपी आज तक नहीं आये। स्वयं फरियादी के कथनों में उसकी पुत्री की

मृत्यु दिनांक 28.05.15 को होना बताया है और उसके पश्चात से ही आरोपीगण के न आने की बात स्वयं फरियादी उसके लेखीय आवेदन प्रपी-1 एवं उसके कथनों में बताती है। वहीं इसके विपरीत स्वयं फरियादी फिरदोस यह कथन करती है कि दिनांक 18.09.15 को आरोपीगण उसके घर पर आये और उससे वाशिंग मशीन, हार व दो लाख रुपये की मांग की थी, जो कि एक दूसरे के विपरीत होकर विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।

10— इस प्रकार स्वयं फरियादी फिरदोस के कथनों में घटना के संबंध में महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभाष है, इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी वकील उर्ररहमान (अ.सा.-2), परवीन बानो (अ.सा.-3), अलीम खान (अ.सा.-4), शकील खान (अ.सा.-5) एवं बसीम खान (अ.सा.-6) ने उनके मुख्य परीक्षण में बताया कि फिरदोस ससुराल में 2-3 महीने अच्छे से रही उसके बाद मामूली घरेलू वाद विवाद को लेकर अपने मायके वापिस आ गयी थी। उस समय फरियादी गर्भवती थी और उसने चंदेरी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था जिसकी दूसरे दिन मृत्यु हो गयी थी, उसके बाद उसकी ससुराल से कोई व्यक्ति लेने नहीं आया था इसी बात से उ दुखी होकर फिरदोस ने आरोपीगण के विरुद्ध थाना चंदेरी ने रिपोर्ट की थी। उक्त साक्षीगण का मुख्य परीक्षण में यह भी कहना है कि वर्तमान में फिरदोस उसके मायके में रह रही है और आरोपीगण के साथ ससुराल में रहना नहीं चाह रही है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी वकील उर्ररहमान (अ.सा.-2), परवीन बानो (अ.सा.-3), अलीम खान (अ.सा.-4), शकील खान (अ.सा.-5) एवं बसीम खान (अ.सा.-6) से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीगण ने अभियोजन के इस बात को इंकार किया है कि आरोपीगण ने उनके सामने दो लाख रुपये, वाशिंग मशीन की मांग फिरदोस से की थी और फिरदोस को चांटा मारा था और आरोपीगण ने फिरदोस को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। उक्त साक्षीगण ने पुलिस कथन क्रमशः प्रपी-4 लगायत प्रपी-8 के ए से ए एवं बी से बी भागों के कथन पुलिस का न देना व्यक्त किया, तथा अभियोजन के इस सुझाव से भी उक्त साक्षीगण ने इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आरोपीगण को बचाने के लिये वे न्यायालय में असत्य कथन कर रहे हैं। उक्त साक्षीगण के अलावा अभियोजन की ओर से विवेचक मंजू मकेनिया (अ.सा.-7) के कथन कराये गये।

11— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य में स्वयं फरियादी फिरदोस के कथनों में महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभाष है, इसके अलावा अन्य साक्षीगण वकील उर्ररहमान (अ.सा.-2), परवीन बानो (अ.सा.-3), अलीम खान (अ.सा.-4), शकील खान (अ.सा.-5) एवं बसीम खान (अ.सा.-6) ने अभियोजन काहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, जिससे अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 16.10.2014 के बाद से दिनांक 18.09.15 तक फरियादी फिरदोस खान के पति या पति के नातेदार होते हुये फरियादी से दहेज में दो लाख रुपये एवं वाशिंग मशीन की मांग करके उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर करता कारित की। अतः अभियुक्तगण **मेहफूज बैग, मकसूद बैग एवं श्रीमति रिहाना परवीन** को धारा 498(ए) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

13— प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति शादी का कार्ड एवं फोटोग्राफ आवश्यक दस्जावेज होन से अभिलेख का भाग होगा।

14— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)